UPAU120028222025

<u>**न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिधूना, औरैया।**</u>

पीठासीन अधिकारीः–(कुशाग्र मिश्र) उ0प्र0 न्यायिक सेवा–UP4693

<u>**दाण्डिक वाद संख्या–1962/2025**</u>

राज्य बनाम नलनीश उर्फ कल्लन आदि।
मु0अ0सं0–150/2023
धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0
थाना–बेला, जिला औरैया।

<u>**दिनांक–06.06.2026**</u>

1. पत्रावली वास्ते आदेशार्थ नियत है। वादिनी मुकदमा **श्रीमती वन्दना उर्फ नीशू** एवं अभियुक्तगण **नलनीश उर्फ कल्लन, अनिल पाण्डेय व अवधेश पाण्डेय** के विद्वान अधिवक्तागण को समझौतानामा दिनांकित 27.05.2026 मय शपथ पत्र पर सुना जा चुका है।

2. वादिनी मुकदमा वन्दना उर्फ नीशू एवं अभियुक्तगण नलनीश उर्फ कल्लन, अनिल पाण्डेय व अवधेश पाण्डेय की ओर से समझौतानामा दिनांकित 27.05.2026 इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में पक्षकारों के मध्य चन्द भले व्यक्तियों के बीच में पड़ जाने के कारण समझौता हो गया है, जिस कारण हम पक्षकारान मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त प्रकरण को समझौतानामा के आधार पर निर्णीत करने की कृपा करें।

3. पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण नलनीश उर्फ कल्लन, अनिल पाण्डेय व अवधेश पाण्डेय के विरूद्ध आरोप पत्र, मु0अ0सं0–150/2023, अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 में थाना बेला पुलिस द्वारा न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया। वादिनी द्वारा समझौतानामा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उक्त प्रकरण में पक्षकारों के मध्य चन्द भले व्यक्तियों के बीच में पड़ जाने के कारण समझौता हो गया है, जिस कारण हम पक्षकारान मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं। जिस कारण उक्त मुकदमें की कार्यवाही इस स्तर पर समाप्त किये जाने की याचना की गई है। चूंकि वादिनी स्वयं पीड़िता है और उक्त प्रकरण को समझौतानामा के आधार पर निर्णीत किये जाने की प्रार्थना की गयी है। समझौतानामा पक्षकारों को पढ़कर सुनाया गया, जिसे उनके द्वारा स्वीकार किया गया। समझौतानामा वादी व अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय के समक्ष तस्दीक किया गया। उभयपक्ष द्वारा अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु आधारकार्ड की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही धारा–320 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत उपशमित किये जाने योग्य है। तद्नुसार पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा दिनांकित 27.05.2026 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा दिनांकित 27.05.2026 स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही धारा–320 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत उपशमित की जाती है। अभियुक्तगण नलनीश उर्फ कल्लन, अनिल पाण्डेय व अवधेश पाण्डेय को दाण्डिक वाद संख्या–1962/2025,

Digitally signed by KUSHAGRA MISHRA
Date: 2026.06.06 14:31:11 IST
Reason: Order
Location: CJJD/JM Outlying Court, Bidhuna

मु0अ0सं0–150/2023, राज्य बनाम नलनीश उर्फ कल्लन आदि, अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 थाना बेला, जिला औरैया के मामले में दोषमुक्त किया जाता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–06.06.2026

(कुशाग्र मिश्र)
सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0,
बिधूना, औरैया।
J.O. Code : UP4693